राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (109)/2019/307. दिनांकः– 08-08-2019

कार्यालय–आदेश

उप शासन सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(16) परि/2009/जयपुर दिनांक 08.08.2019 से वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101903576 दिनांक 05.08.2019 के अनुसरण में रक्षा बन्धन पर्व पर **दिनांक 15.08.2019** के अवसर पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की, राज्य की सीमा में संचालित समस्त **साधारण एवं द्रुतगामी बसों** (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में यात्रा करने वाली राजस्थान राज्य की निवासी समस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त की अनुपालना में रक्षा बन्धन पर्व पर **"15 अगस्त 2019"** के दिन (केवल एक दिन) विभिन्न मार्गो पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की, राज्य की सीमा में संचालित समस्त **साधारण एवं द्रुतगामी** बसों (वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में राजस्थान राज्य की निवासी महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रक वितरक/परिचालक इस दिवस हेतु राज्य की निवासी समस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा टिकिट जारी करेगें। परिचालक **E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine)** से टिकिट जारी करेगें तथा **E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine)** के किन्ही कारणों से क्रियाशील नही होने पर निःशुल्क/रियायाती टिकिट बुक से टिकिट जारी की जावेगी तथा टिकट पर "बालिका/महिला यात्री" एवम् दिनांक अंकित करेंगे। पत्रक वितरकों/परिचालकों को इस एक दिवस के लिये निःशुल्क यात्रा टिकिट जारी करने में एकरूपता रखने के उद्धेश्य से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल दिनांक **15.08.2019** (एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 15.08.2019 को 00.00 बजे से रात्रि 23.59 बजे तक) होगा।
2. इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी देय होगी।
3. वातानुकूलित, वोल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देय नहीं होगी तथा अन्य श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र/सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक ही मान्य होगी।

Sh. Ashok-T
9/8/19

(श्रुति शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner